



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:—2025 / 829

दर्ज तिथि:—22.12.2025

1. घेवरचंद पुत्र बीजाराम
जाति दर्जी निवासी गुड़ामालानी, पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी।

.....प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र कालुराम
2. चुन्नीलाल पुत्र भीखाराम
3. जगदीश कुमार पुत्र चम्पालाल
4. मधूदेवी पत्नी कालुराम
5. ललित कुमार पुत्र चम्पाराम जाति दर्जी निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा
6. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बालोतरा

तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:—श्री गंगाराम चौधरी

अप्रार्थी:— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136

राजस्थान भू—राजस्व अधि0—1956

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—14.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1792 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम घेवाराम पुत्र बिंजाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक डायरी, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड में घेवरचंद पुत्र बिंजाराम दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में भी परिवर्तित नाम जामीन खान पुत्र मांजीखान दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड



में प्रार्थी के नाम को राजस्व रिकॉर्ड में घेवरचंद पुत्र बिंजाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/2300 दिनांक 09.04.2026 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या 48 मौजा गुड़ामालानी के नवीन खाता संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (है0)
घेवाराम पुत्र बिंजाराम	मौजा गुड़ामालानी	1792	2.8328

4. प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में रामकेन पुत्र बांकाराम अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	घेवरचंद पुत्र बिंजाराम
जन आधार कार्ड	घेवरचंद पुत्र बिंजाराम
बैंक डायरी	घेवरचंद पुत्र बिंजाराम

5. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार है:-

उक्त प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम की धारा-136 के अंतर्गत **घेवरचंद पुत्र बिंजाराम शुद्ध किया जाना उचित है। घेवाराम पुत्र बिंजाराम एवं घेवरचंद पुत्र बिंजाराम एक ही व्यक्ति है।**

6. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में घेवाराम पुत्र बिंजाराम अंकित है जो बिंदू संख्या-4 में वर्णित है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार गुड़ामालानी ने अवगत करवाया

निर्णय दिनांक—14.05.2026

है कि प्रार्थी का नाम पूर्व में ग्रामीण परिवेश में बोलचाल के नाम से जाना जाने के कारण घेवरचंद पुत्र बिंजाराम के स्थान पर घेवाराम पुत्र बिंजाराम दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में नाम घेवाराम पुत्र बिंजाराम को कलमजन कर उस के स्थान पर घेवरचंद पुत्र बिंजाराम का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी